

पंजीकृत  
प्रेषक

सेवा में

निदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,  
शिक्षा सदन, सैक्टर-5, पंचकूला।

प्राचार्य,  
हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय।

यादी क्रमांक 22/115-2015 सी0-1(4)  
दिनांक, पंचकूला : 10/11/16

विषय:-

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत एक्सटैन्शन लैक्चरर से सम्बन्धित सिविल रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करने, सुनवाई हेतु निश्चित तिथि पर माननीय न्यायालय में सुनवाई अटैन्ड करना व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने बारे।


\*\*\*\*

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

सभी प्राचार्यों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि उनके महाविद्यालय के एक्सटैन्शन लैक्चरर्स से सम्बन्धित सिविल रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करने हेतु जवाबदावा तैयार करके निजि स्तर पर विभागीय लीगल सैल से वैट करवाने उपरान्त महाविधवक्ता, हरियाणा से वैट करवाकर माननीय उच्च न्यायालय में जवाबदावा दायर करना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त एक्सटैन्शन लैक्चरर्स से सम्बन्धित सिविल रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना करना भी सुनिश्चित करें।

मामले में किसी भी प्रकार की देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

  
उप निदेशक-1  
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला  
